भारत सरकार

सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्तालय

पांचवी मंजिल केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-800001

मि.सं.II(7)01-Circular/Instructions/Com/Cus/Pat/18-19 दिनांक: 28.05.2018

कार्यालय आदेश संख्या:- 03

विषय: आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा समर्पित करने के संबंध में -

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान CS(MA) नियम 1944 के नियम संख्या 6 एवं उपरोक्त विषय के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाता है। सामान्यत: सरकारी सेवक यदि अपने या अपने परिवार के सदस्य का इलाज यदि CGHS/CS(MA) नियमों के तहत स्वीकृत निजी अस्पताल से करवाना चाहते हैं तो इस संदर्भ में संबंधित अधिकृत मेडिकल परिचर (AMA) के द्वारा निर्गत चिकित्सा पर्ची के आधार पर विभाग के HOD द्वारा अनुमोदन लेने के पश्चात् ही चिकित्सा कराने का प्रावधान है।

परन्तु यदि सरकारी सेवक द्वारा आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा निजी अस्पताल या निजी नर्सिंग होम या निजी क्लिनिक में करवाया जाता है तो वैसी स्थिति में चिकित्सा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति विभाग के HOD कर सकते हैं, बशर्ते कि वे प्रतिपूर्ति की सीमा CGHS/CS(MA) नियमों में वस्तुवार निर्धारित सीमा के अंदर हो।

2.0 प्राय: ऐसा देखा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में कराए गए चिकित्सा की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा दावे के साथ आपातकालीन प्रमाणपत्र कार्यालय में समर्पित नहीं करते एवं आपातकालीन स्थिति में इलाज करवाने की सूचना तत्काल कार्यालय को नहीं देते हैं, जिसके कारण आपात स्थिति में कराए गए इलाज के सत्यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और चिकित्सा दावा के निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है। सामान्य स्थिति में निजी अस्पताल में इलाज के लिए HOD का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। परन्तु आपातकालीन स्थिति वाले इलाज में विभाग को सूचित न किया जाना या HOD का पोस्टफैक्टो(कार्योत्तर मंजूरी) अनुमोदन न लिया जाना, आपातकालीन चिकित्सा के असलियत को शंका के घेरे में लाता है।

3.0 इसलिए CGHS/CS(MA) नियम 1944 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में कराए गए इलाज के संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर HOD द्वारा त्वरित निर्णय लेने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, ताकि चिकित्सा दावा का त्वरित निष्पादन हो सके-

(i) अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा अपने या परिवार के सदस्य का आपातकालीन स्थिति में निजी अस्पताल/निजी नर्सिंग होम/निजी क्लिनिक में चिकित्सा हेतु भर्ती के उपरांत यथासंभव तुरंत या अधिकतम अस्पताल से छूट्टी के दस दिनों के अंदर अपने संबंधित प्रमंडल के उपायुक्त/सहायक आयुक्त को इस संदर्भ में सूचना दें, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा के कारण सहित कार्योत्तर

मंजूरी के HOD द्वारा अनुमोदन का भी निवेदन हो। आवेदन की एक प्रति मुख्यालय कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

(ii) आपातकालीन प्रमाणपत्र चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(iii) समर्पित दावों के साथ अधिकारी/कर्मचारी अपना self-explanatory आवेदन भी संलग्न करें जिसमें यह स्पष्ट हो कि इलाज आपातकालीन स्थिति में कराया गया तथा आपातकालीन चिकित्सा हेतु पूर्व मे दिए गए सूचना एवं कार्योत्तर स्वीकृति के आवेदन की प्रति भी लगायें।

4.0 इस संदर्भ में पूर्व के निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 14.03.2018 को निरस्त करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

प्र०ति 29/5/18

संयुक्त आयुक्त
सीमा शुल्क (मु.), पटना
दिनांक 28.05.2018

मि. संख्या : यथोपरि 3432-56 30

1. उपायुक्त (CCO) सीमा शुल्क जोन पटना।
2. सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (मु.) पटना।
3. सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रमंडल-पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, फारबिसगंज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया। आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय को सूचित करें। प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी चिकित्सा दावे को प्रमंडल स्तर पर बिना नियमानुसार जांचे मुख्यालय स्तर पर प्रेषित कर दिया जाता है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है पूर्व में भी कई बार इस संदर्भ में निर्देश दिए जा चुके हैं बावजूद अनुपालन नहीं किया जा रहा है कृपया इसका ध्यान रखें ताकि अनावश्यक पत्राचार एवं विलंब से बचा जा सके। साथ ही जिस आधार पर दावे को जांचा गया गया है उसकी प्रति भी दावे के साथ संलग्न कर प्रेषित करें।
4. अधीक्षक (सभी) सीमा शुल्क (मु.) निवारण शाखा, स्थापना शाखा, विधि शाखा, ARC, अधिनिर्णयन शाखा, सतर्कता शाखा, तकनिकी शाखा, Stat. शाखा, कल्याण शाखा, प्रणाली शाखा, निष्पादन शाखा, RRA, हिंदी शाखा एवं अधीक्षक सीमा शुल्क अंचल भागलपुर, बरही, रांची।
5. प्रशासनिक अधिकारी सीमा शुल्क (मु.) पटना।
6. अधीक्षक (प्रणाली शाखा) को Website पर upload करने हेत।
7. सूचना पट्ट।

प्र० ति 29/5/18

संयुक्त आयुक्त
सीमा शुल्क (मु.), पटना